न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./06/2025

(1) पूर्णिमा कुमावत पुत्री किशनगोपाल पति रामदयाल जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी (राज०) —प्रार्थी

बनाम

(1) हेमेंद्रसिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(2) श्री हरदेव पुत्र उगमा, उम्र वयस्क, निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(3) इंद्रजीतसिंह पुत्र फतेहसिंह, उम्र वयस्क, निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(4) श्री बल्देव पुत्र हनुता उम्र वयस्क, निवासी काचरिया तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)(विलोपित)

(5) मुकेश पुत्र रामलाल, जाति बैरवा उम्र वयस्क, निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(6) हेमराज पुत्र महावीर जाति बैरवा, उम्र वयस्क, निवासी भिनाय जिला अजमेर (राज०) जैतपुरा तहसील

(7) घीसालाल पुत्र रामकिशन जाति बैरवा उम्र वयस्क, निवासी भिनाय जिला अजमेर (राज०) जैतपुरा तहसील

(8) प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति बैरवा उम्र वयस्क, निवासी भिनाय जिला अजमेर (राज०) जैतपुरा तहसील

(9) रामदेव पुत्र कल्याण, जाति बैरवा उम्र वयस्क, निवासी भिनाय जिला अजमेर (राज०) जैतपुरा तहसील

(10) सांवरा पुत्र कल्याण जाति बैरवा उम्र वयस्क, निवासी भिनाय जिला अजमेर (राज०) जैतपुरा तहसील

(11) जगदीश पुत्र उगमा जाति बैरवा उम्र वयस्क, निवासी भिनाय जिला अजमेर (राज०) जैतपुरा तहसील

(12) गोपाल पुत्र जवारा जाति बैरवा निवासी उम्र वयस्क जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(13) रामदेव पुत्र जवारा जाति बैरवा उम्र वयस्क जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(14) सूरजकरण पुत्र जवारा जाति बैरवा उम्र वयस्क जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

(15) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भिनाय जिला केकड़ी (राज.)

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–18.03.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा जैतपुरा पटवार क्षेत्र जेतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 415 में दर्ज खसरा नम्बर 2118 रकबा 3.72 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 3.72 हैक्ट** जो कि प्रार्थीयां के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 14, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 15 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीयां ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस अप्रार्थी संख्या 4 बलदेव के अतिरिक्त अन्य सभी से तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्राथी संख्या 01 लगायत 03 तथा 05 लगायत 14 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 01 लगायत 03 तथा 05 लगातय 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते नाम विलोपित अप्रार्थी संख्या 04 बलदेव स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 04 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम नीमेड़ा के खाता संख्या 415 संवत 2070–2073(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा जैतपुरा पटवार क्षेत्र जेतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 415 में दर्ज खसरा नम्बर 2118 रकबा 3.72 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 3.72 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)